भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3399

उत्तर देने की तारीख 09.12.2019

ट्रांस-गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना

3399. श्री सुरेश कश्यपः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ट्रांस-गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तराखंड के जॉन्सर-बावर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है और सिर मौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र को पूर्ववर्ती सिरमन रियासत का भाग होने के बावजूद अभी भी जनजातीय क्षेत्र के दर्जे से वंचित है

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का ट्रांस-गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का विचार है और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई मांग हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग): उत्तराखंड के जौन्सर-बावर और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए नोडल मंत्रालय है। किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के प्रस्तावों के लिए जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और समुचित क्षेत्रफल , जिला, ब्लॉक या तालुका जैसी एक व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में उस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित मानदंडों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के साथ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। उपरोक्त मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रस्ताव की जांच की जाती है ; उन प्रस्तावों पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श लिया जाता है जो मानदंड के अनुरूप होते हैं। सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा19.7.2018 का प्रस्ताव उपरोक्त मानदंडों और अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है।

*****